16/4/
27/5/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद प्रा/पत्रावली पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
143/2020	53,88,229,188	कामली	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
भूरी बाई वगै.	बनाम	मोहनी बाई वगै.

वकील :- श्री एल. के. सेमानी एड. — **आदेश पत्रक** — वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
6/11/20	श्री एल. के. सेमानी एड. ने वादीगण की ओर से वादपत्र पेश किया। रिपोर्ट रजिस्ट्री देखी गई कोई कमी नहीं है। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 28/12/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बारां	
28/12/20	वकील वादी उपस्थित। प्रति. क्र. 9 व 13 स्वयं उपस्थित। प्रति. क्रम 4, 12, 16। ता 16/3, 17 ता 21 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रति. क्र. 1 ता 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15 के सम्मन अन्य को देकर इत्तला की रिपोर्ट के साथ लौटे हैं जो शा. प्रा. हैं इन्हें इत्तला होना हम नहीं मानते। प्रति. क्र. 7/1 के सम्मन वापस नहीं लौटे। वकील वादी प्रति. क्रम 1 ता 3, 5, 6, 7/1, 8, 10, 11, 14, 15 की तलबी हेतु पुनः तलबाना / सम्मन पेश करें। वास्ते जवाब / तलबी दि. 19/2/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बारां	गुमान (9) रिछपाल (13)
19/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। प्रति. क्रम 7/1 का नोटिस आज तामील होकर जो संलग्न पत्रावली रखा। वकील वादी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3, 5, 6, 7/1, 8, 10, 11, 14 व 15 की तलबी हेतु पुनः तलबाना / सम्मन पेश करें वास्ते जवाब / तलबी दिनांक 16/4/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बारां	

निर्णय वइजलास श्री दीपक मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 143/20 दावा
दायरा दिनांकः—06.11.2020
निर्णय दिनांकः— 12.9.23

उनवान

1. भूली बाई आयु 67 वर्ष पत्नि श्री कैलाश जाति नायक
2. जितेन्द्र आयु 37 वर्ष पुत्र श्री कैलाश जाति नायक
3. महेन्द्र आयु 45 वर्ष पुत्र श्री कैलाश जाति नायक
4. लोकेश आयु 42 वर्ष पुत्र श्री कैलाश जाति नायक
निवायीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0) —वादीगण

बनाम

1. मोहनी बाई पत्नि स्व0 श्री श्योजीलाल जाति नायक
2. पृथ्वी उर्फ पप्पु पुत्र स्व0 श्री श्योलजीलाल जाति नायक
3. भोजराज पुत्र स्व0 श्री श्योजीलाल जाति नायक
4. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री श्योजीलाल जाति नायक निवायीगण बामली बामला तहसील बारां
5. कमलेश बाई पुत्री श्योजीलाल पत्नि श्री प्रेमचन्द जाति नायक हाल निवासी ठठेरा बस्ती बाईपास रोड इटावा तहसील इटावा जिला कोटा
6. सुरेन्द्र उर्फ छोटुलाल पुत्र स्व0 श्री श्योजीलाल जाति नायक निवासी बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)
7. मृतक कल्याण बाई पुत्री कजोड जाति नायक निवासी बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

7./1 बमलेश बाई पुत्री श्री करण सिंह पत्नि सोहन जाति नायक निवासी बामली हाल मुकाम ग्राम लाडपुरा पोस्ट जाकोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

8. पुष्पा बांई पत्नि श्री रामचरण जाति नायक
9. गुमान पुत्र श्री रामचरण जाति नायक निवासीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)
10. मृतक गिर्राज पुत्र श्री रामचरण जाति नायक निवासी बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

10/1. सुनील आयु 27 वर्ष पुत्र श्री गिर्राज जाति नायक
10/2. विजय आयु 22 वर्ष पुत्र श्री गिर्राज जाति नायक
10/3. भरोसी बाई आयु 55 वर्ष बेवा श्री गिर्राज जाति नायक निवासीगण बामली तहसील बारां हाल मुकाम गली नं0 10 सोगरिया कोटा जिला कोटा (राज0)
10/4. टीना आयु 22 वर्ष पुत्री श्री गिर्राज पत्नि श्री रमेश जाति नायक निवासी गली नं0 1

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

निवासीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां
10. मृतक गिर्राज पुत्र श्री रामचरण जाति

कोटा दुध डेयरी के पास शिवपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)

11. नेता उर्फ रामस्वरूप पुत्र श्री रामचरण जाति नायक
12. प्रकाश पुत्र श्री रामचरण जाति नायक
13. बिरधीलाल पुत्र श्री रामचरण जाति नायक
14. महावीर पुत्र श्री रामचरण जाति नायक
15. राधा बाई पुत्री श्री रामचरण जाति नायक निवायीगण बामली बामला तहसील बारां
16. मृतक जगदीश पुत्र श्री पुरूषोतम जाति नायक निवासी बामली बामला तहसील बारां

16/1. काली बाई पत्नि स्व0 जगदीश जाति नायक

16/2. अमन पुत्र स्व0 जगदीश जाति नायक निवासी बामली बामला तहसील बारां

16/3. तनु पुत्री स्व0 जगदीश नाबालिग जर्येवली संरक्षक माता काली बाई पत्नि स्व0 जगदीश जाति नायक निवासी बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

17. नरेश पुत्र श्री पुरूषोतम जाति नायक
18. बलराम पुत्र श्री पुरूषोतक जाति नायक
19. हंसराज पुत्र श्री पुरूषोतम जाति नायक निवासीगण बामली बामला तहसील बारां
20. भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां तहसील व जिला बारां (राज0)
21. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) —प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,92(ए),188,53, आर टी एक्ट

निर्णय दिनांकः— 12-9-23

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी— वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 19 के शामलाती खाते में ग्राम वार्क माल बामली की आराजी खसरा नंबर 143 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 161 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 रकबा 0.50 हैक्टेयर व खसरा नंबर 495 रकबा 3. 43 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.12 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में चालू जमाबन्दी खाता संख्या 229 ग्राम बामली पटवार हल्का बामला तहसील बारां में स्थित है। वादीगण का उक्त आराजी में 1 / 20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है तथा प्रतिवादी कम 1 ता 6 का हिस्सा 1 / 30 प्रतिवादी कम 7/1 का हिस्सा 1/5. प्रतिवादी कम 8 ता 15 का हिस्सा 1/40 व प्रतिवादी कम 16/1 ता 19 का हिस्सा 1 / 25 राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है, जिसकी पुंष्टि जमाबन्दी सं0 2073 से 75 से होती हैं। यह कि पक्षकारों के

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

निवासीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

10. मृतक गिर्राज पुत्र श्री रामचरण जाति नायक निवासी बामली पोस्ट

बीच में आपस में वाहमी बटवारा किया हुआ है, वादीगण के हिस्से में खसरा नंबर 495 रकबा 3.43 हैक्टेयर में से 8 बीघा जमीन निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। उक्त खसरा नंबर में से परवन वृहद्ध सिंचाई योजना में नहर निकालने हेतु लगभग 0.7283 हैक्टेयर के अधिग्रहण के नोटिस खातेदारान को भिजवाये गये हैं, जिस स्थान पर उक्त योजना के माध्यम से नहर निकाली जानी है वह भूमि वाहमी बटवारे में वादीगण के हिस्से में आई हुई है तथा वही निरन्तर काश्त कर रहे हैं। नोटिस आने के पश्चात् वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि यह जमीन नहर में अधिग्रहण होने वाली है वह उनके हिस्से की है तो उसका मुआवजा भी उन्ही को प्राप्त होना चाहिये, इस हेतु समस्त प्रतिवादीगण इस पर सहमति देवें परन्तु प्रतिवादीगण ने सहमति देने से इन्कार कर दिया तथा यह कहने लग गये कि मुआवजा की राशि हम भी लेंगे तथा वादीगण को कोई जमीन नहीं देंगे, जो कि वादीगण के सम्पत्ति के अधिकारों के विपरीत है, यदि वादीगण के हिस्से की जमीन का मुआवजा सभी में बांटा जाता है और उनको उनके हिस्से के अनुरूप जमीन नहीं दी जाती है तो यह वादीगण के प्रति अन्याय होगा, इसलिए वादीगण को अपने सम्पत्ति व खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ उक्त वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

वादीगण प्रतिवादी कम 1 ता 20 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि जब तक सम्पूर्ण खाते का हिस्से के अनुसार विभाजन नहीं हो जाता तब तक उक्त आराजी खसरा नंबर 495 रकबा 0.7283 हैक्टेयर जो अधिग्रहण योग्य है, उसका मुआवजा अन्य प्रतिवादीगण के नाम एवार्ड़ जारी नहीं किया जावे और ना ही यह राशि प्रतिवादीगण को दी जावे । वादीगण को उसके कब्जे काश्त के अनुसार हिस्से के अनुरूप पृथक से खाता विभाजन कर लगान का पृथक निर्धारण कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। यदि प्रतिवादीगण अपने मनसूबों में कामयाब हो कर अधिग्रहण के एवार्ड की राशि प्राप्त कर लेते हैं तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा अनावंश्यक रूप से मुकदमें बाजी में उलझना पड़ेगा, जिसकी पूर्ति मुद्रा में होना सम्भव नहीं है तथा वादीगण को प्रतिवादीगण के अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक क्षति होगी तथा प्रथम दृष्टिया मुकदमा वादीगण के पक्ष में पाया जाता है, क्योंकि वादीगण उक्त अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के कब्जेधारी खातेदार कृषक हैं। प्रतिवादी कम 20 के द्वारा उक्त भूमि अधिग्रहण करने के खातेदारान के नाम नोटिस जारी किये हैं, इसलिए उक्त बाद में उनको आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी कम 21 तहसीलदार बारां को लेण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

निवासीगण बामला पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज.)

बनाया गया है, उनसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी गई है। उपरोक्त वाद कारण उक्त आराजी खसरा नंबर 495 रकबा 3.43 हैक्टेयर में से 0.7283 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण का नोटिस दिये जाने व अन्य सह–खातेदारान प्रतिवादीगण द्वारा खाते का विभाजन न करवाने व सम्पूर्ण एवार्ड राशि बटवारा में लेने के कारण बमुकाम ग्राम बामली तहसील बारां में पैदा हुआ जो वर्तमान में भी हो रहा है।

वदीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित पही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बामली तहसील बारां सम्वत् 2070–73 खाता सं0 229 पेश की गई साथ वादी में PW1 महेन्द्र PW2 जितेन्द्र PW3 लोकेश के बयान कराये गयें

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया विद्वान अभिभाषक वादी का कथन है कि विवादति आरांजी वाके ग्राम बामली तहसील बारां में स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादीगण का भी अलग–अलग हिस्सा दर्ज रिकार्ड है वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपस में बाहमी बटवारा कर रखा है वादी के हिस्से में खसरा नं0 495 रकबा 3.43 हेक्टयर में से 8 बीघा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है उक्त खसरा नं0 में से परवन वृहद्ध सिंचाई योजना में नहर निकालने हेतु लगभग 0.7283 हेक्टयर अधिग्रहण की गई है उक्त भूमि बाहमी बटवारे में वादीगण के हिस्से में आई हुई है तथा वादीगण को ही नहर में गई भूमि का मुआवजा मिलना चाहिये परन्तु इस पर प्रतिवादीगण सहमत नही है प्रतिवादीगण मुअरवजा राशि भी लेने को तैयार है और भूमि भी नही देना चाहते है यदि प्रतिवादीगण मुआवजा लेना चाहते तो वादीगण के हिस्से की भूमि वादीगण को दे दी जावे। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी का मौके पर हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जावे।

बहस अभिभाषक वादीगण सुंनी गई पंत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमावन्दी ग्राम बामली तहसींल बारां सम्वत् 2070–73 खाता सं0 229 के अनुसार वादीगण का हिंस्सा 1/20, 1/20 दर्ज रिकार्ड है वादीगण अपने हिस्से की आराजी का हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन करवाना चाहते है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर विवादीत आराजी के सम्बन्ध में कोई जवाब व दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया जबकि

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

निवासीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण को न्यायालय में उपस्थित होकर विवादीत आराजी के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। प्रतिवादीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नही करने पर एवं वादीगण द्वारा विवादीत आराजी में अपना हिस्सा पृथक – पृथक विभाजन मौके पर हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार कराने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

::क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्विकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बामली तहसील बारां के खसरा नंबर 143 रकबा 0.11 हेक्टयर खसरा नंबर 161 रकबा 0.08 हेक्टयर खसरा नम्बर 47 रकबा 0.50 हेक्टयर खसरा नम्बर 495 रकबा 3.43 हेक्टयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

निवासीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिलाबारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

[वाद] संख्या 143/2020	धारा 53, 88, 92ए, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 12.09.2023
समक्ष : श्री दीपक मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री नरेन्द्रसोमानी एड0–वादी	अभिभाषकप्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. भूली बाई आयु 67 वर्ष पत्नि श्री कैलाश जाति नायक
2. जितेन्द्र आयु 37 वर्ष पुत्र श्री कैलाश जाति नायक
3. महेन्द्र आयु 45 वर्ष पुत्र श्री कैलाश जाति नायक

4- लोकेश आयु 42 वर्ष पुत्र श्री कैलाश जाति नायक निवायीगण बामली बामला

बनाम

1. मोहनी बाई पत्नि स्व0 श्री श्योजीलाल जाति नायक
2. पृथ्वी उर्फ पप्पु पुत्र स्व0 श्री श्योलजीलाल जाति नायक
3. भोजराज पुत्र स्व0 श्री श्योजीलाल जाति नायक
4. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री श्योजीलाल जाति नायक निवायीगण बामला तहसील बारां
5. कमलेश बाई पुत्री श्योजीलाल पत्नि श्री प्रेमचन्द जाति नायक हाल निवासी ठठेरा बस्ती बाईपास रोड इटावा तहसील इटावा जिला कोटा
6. सुरेन्द्र उर्फ छोटुलाल पुत्र स्व0 श्री श्योजीलाल जाति नायक निवासी बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)
7. मृतक कल्याण बाई पुत्री कजोड जाति नायक निवासी बामली बामला तहसील बारां

7./1 बमलेश बाई पुत्री श्री करण सिंह पत्नि सोहन जाति नायक निवासी बामली हाल मुकाम ग्राम लाडपुरा पोस्ट जाकोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्विकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बामली तहसील बारां के खसरा नंबर 143 रकबा 0.11 हेक्टयर खसरा नंबर 161 रकबा 0.08 हेक्टयर खसरा नम्बर 47 रकबा 0.50 हेक्टयर खसरा नम्बर 495 रकबा 3.43 हेक्टयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12.09.2023 .को निर्गत किया गया।

उपखण्डअधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां
बारां

क्र.सं.	व्ययमद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

निवासीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

10. मृतक गिर्राज पुत्र श्री [illegible]

8. पुष्पा बाई पत्नि श्री रामचरण जाति नायक

9. गुमान पुत्र श्री रामचरण जाति नायक निवासीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

10. मृतक गिर्राज पुत्र श्री रामचरण जाति नायक निवासी बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

10/1. सुनील आयु 27 वर्ष पुत्र श्री गिर्राज जाति नायक

10/2. विजय आयु 22 वर्ष पुत्र श्री गिर्राज जाति नायक

10/3. भरोसी बाई आयु 55 वर्ष बेवा श्री गिर्राज जाति नायक निवासीगण बामली तहसील बारां हाल मुकाम गली नं0 10 सोगरिया कोटा जिला कोटा (राज0)

10/4. टीना आयु 22 वर्ष पुत्री श्री गिर्राज पत्नि श्री रमेश जाति नायक निवासी गली नं0 1 कोटादुध डेयरी के पास शिवपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)

11. नेता उर्फ रामस्वरूप पुत्र श्री रामचरण जाति नायक

12. प्रकाश पुत्र श्री रामचरण जाति नायक

13. बिरधीलाल पुत्र श्री रामचरण जाति नायक

14. महावीर पुत्र श्री रामचरण जाति नायक

15. राधा बाई पुत्री श्री रामचरण जाति नायक
निवायीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

16. मृतक जगदीश पुत्र श्री पुरूषोतम जाति नायक निवासी बामली बामला तहसील बारां

16/1. काली बाई पत्नि स्व0 जगदीश जाति नायक

16/2. अमन पुत्र स्व0 जगदीश जाति नायक निवासी बामली पोस्ट बामला तहसील बारां

16/3. तनु पुत्री स्व0 जगदीश नाबालिग जर्येवली संरक्षक माता काली बाई पत्नि स्व0 जगदीश जाति नायक निवासी बामली पोस्ट बामला तहसील व जिला बारां (राज0)

17. नरेश पुत्र श्री पुरूषोतम जाति नायक

18. बलराम पुत्र श्री पुरूषोतक जाति नायक

19. हंसराज पुत्र श्री पुरूषोतम जाति नायक निवासीगण बामली बामला तहसील बारां

20. भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां तहसील व जिला बारां (राज0)—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

निवासीगण बामली पोस्ट बामला तहसील व जि